प्रार्थिगण द्वारा आदि अधिवक्ता सिद्ध अपीलीय के पेश किया जाकर बहि किया जाने। मूल मिसल तलब होकर प्रा पत्र बाबत देने मिसल मिति 13/12 को पेश हो।

13/10 पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थीगण अव मूल मिसल तलब की गई। वकील प्रार्थीगण की प्रा पत्र पर बहस सुनी गई। वकील प्रार्थीगण ने प्रा पत्र में वर्णित तथ्यों की पुनरावृत्ति करते अपनी बहस में कथन किया कि प्रार्थीगण का मूल वाद सहायक कलेक्टर न्यायालय पुलभट्टा के न्यायालय हाजा में स्थानान्तरित होने की जानकारी प्रार्थीगण को नहीं होने के तथा प्रार्थीगण के अधिवक्ता द्वारा इस प्रकार की जानकारी नहीं किये जाने के कारण प्रार्थीगण का मूल वाद सं. 174/2013 मिति 29/11/17 का अपर पीठासीन अधिकारी के खारिज हो जाने के पश्चात प्रार्थीगण कस्बा पशुपालक बोर्ड के ग्रामीण क्षेत्र के निवासी होने के कारण मूल वाद खारिज होने की जानकारी के अभाव में मूल वाद में संशोधित पीटीशन लाने हेतु मूल वाद को पुनर्जीवित करने हेतु अपील स्थान करते हुए मूल वाद को पुनर्जीवित कर पुनः नम्बर पर लिये जाने के आदेश फरमावें। वकील प्रार्थीगण की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेज का अवलोकन किया गया बाद मनन एवं अवलोकन पाया गया कि प्रार्थीगण का मूल वाद सं. 174/2013 मिति 29/11/17 को अपर कलक्टर पीठ में खारिज हो जाने के पश्चात प्रार्थीगण को सूचना प्राप्त होने के पूर्व अपील लिखे जाने लायक होने के कारण प्रार्थीगण स्वीकार किया जाकर मूल वाद सं. 174/2013 अन्तर्गत धारा 15 राजस्व अपील अधिनियम को पुनर्जीवित कर पुनः नम्बर पर लिये जाने के आदेश दिये जाते हैं मिसल पुनः प्राप्त होने पर दाखिल दफ्तर हो।

(महावीर सिंह)
RAS.

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Mahaveer Singh
Date: 2020.01.19 15:24:39 IST
Reason: SelfAttested